न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 02 सन 2021
अनवान :–

1. शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपुत निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 16/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123/134 के खसरा न0 290/3.9700 ,खसरा न0 358/0.7590 कुल 4.7290हक्ट भूमि जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शंकरसिह पुत्र करणीसिह दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन काड , आयकर विभाग का पैन कार्ड ड्राईविग लाईसन्स बैक पास बुक सभी में सायल का नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123/134 के खसरा न0 290/3.9700 ,खसरा न0 358/0.7590 कुल 4.7290हक्ट भूमि जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि में सायल का नाम शंकरसिह पुत्र करणीसिह के स्थान पर शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123/134 के खसरा न0 290/3.9700 ,खसरा न0 358/0.7590 कुल 4.7290हक्ट भूमि जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शंकरसिह पुत्र करणीसिह दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन काड , आयकर विभाग का पैन कार्ड ड्राईविग लाईसन्स बैक पास बुक सभी में सायल का नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123/134 के खसरा न0 290/3.9700 ,खसरा न0 358/0.7590 कुल 4.7290हव भूमि जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल का नाम शंकरसिह पुत्र करणीसिह दर्ज है।

सायल का कथन है कि उसका सही नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है सायल ने अपने कथनो के समर्थन में दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , पेन कार्ड , ड्राईविग लाईसन्स बैक पास बुक आदि पेश किये सभी दस्तावेजात सायल का नाम शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है न्यायहित में सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123/134 के खसरा न0 290/3.9700 ,खसरा न0 358/0.7590 कुल 4.7290हव भूमि जिसमें 1/12 हिस्सा भूमि में शंकरसिह पुत्र करणीसिह के स्थान पर शिब्बुसिह उर्फ शंकरसिह पुत्र करणीसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 02 / 2021 अनवानी शिब्बुसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. शिब्बुसिह पुत्र करणीसिह जाति राजपूत साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 02 / 2021 अनवानी शिब्बुसिह बनाम सरकार में दिनांक 16/7/2021 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मोजाा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 123 / 134 के खसरा न0 290 / 3.9700 ,खसरा न0 358 / 0.7590 कुल 4.7290हक्‍ भूमि जिसमें 1 / 12 हिस्सा भूमि में शंकरसिह पुत्र करणीसिह के स्थान पर शिब्बुसिह उर्फ शंकरसिह पुत्र करणीसिह संशोधन किये जाने के आदेश हुए है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner